

पत्रांक-7/खाद्य-12-01/2012- 17(7)A
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सचिव-सह-उप औषधि नियंत्रक,
औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना
उप रसायनिक विश्लेषक सह-लोक विश्लेषक
संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना
लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य
प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर
संबंधित सिविल सर्जन (सूची संलग्न)।
संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना

पटना, दिनांक -24-4-2012

विषय:- मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-N2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते एवं अन्य मदों में कुल ₹ 1,26,88,300/- (एक करोड़ छब्बीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र का आवंटन।

महाषय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार विभिन्न प्राथमिक इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012-2013 में वेतन भत्ते मदों एवं अन्य मदों में कुल ₹ 1,26,88,300/- (एक करोड़ छब्बीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ रूपये) मात्र आवंटन दी जाती है।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक-8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक-12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत आयोजना भिन्न व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण-0001-खाद्य नियंत्रक स्थापना विपत्र कोड-N2210061020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 में आयोजना भिन्न में उपबंध से की जायगी।

4. इनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव-सह-उप औषधि नियंत्रक औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना/उप रसायनिक विश्लेषक सह लोक विश्लेषक संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना/लोक विश्लेषक जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर/संबंधित सिविल सर्जन / संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी / कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002, 379(9) दिनांक-16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.1.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(9)

24/4/2012

8. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान डी0पी0एस0 की राशि घटाकर की जाएगी तथा विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।

12. वित्त विभागीय पत्रांक- 3833/वि0(2) दिनांक-02.04.2012 में निहित निदेश के आलोक में इस आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा पूर्व के लंबित दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है ।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव


ज्ञापांक : 17(7)a

दिनांक : 24-4-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।





सरकार के संयुक्त सचिव

विवरण-1

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	विधि प्रभार	कुल
		(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)	9	(13-01)	(13-05)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सयुक्त खाद्य नियंत्रक	180000	120600	108000	20000	3600	27000	459200	5000	2000	466200
2	सिविल सर्जन, पटना	120000	80400	72000	20000	2400	18000	312800	4000	2000	318800
3	सिविल सर्जन, भागलपुर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
4	सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
5	सिविल सर्जन, गया	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
6	सिविल सर्जन, बेतिया, पठचम्पारण	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
7	सिविल सर्जन, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
8	सिविल सर्जन, दरभंगा	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
9	सिविल सर्जन, मुंगेर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
10	सिविल सर्जन, खगड़िया	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
11	सिविल सर्जन, औरंगाबाद	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
12	सिविल सर्जन, समस्तीपुर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
13	सिविल सर्जन, मधुबनी	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
14	सिविल सर्जन, सारण, छपरा	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
15	सिविल सर्जन, वैशाली, हाजीपुर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
16	सिविल सर्जन, नालन्दा	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
17	सिविल सर्जन, बेगूसराय	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
18	सिविल सर्जन, नवादा	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
19	सिविल सर्जन, रोहतास	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
20	सिविल सर्जन, सिवान	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
21	सिविल सर्जन, आरा, भोजपुर	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
22	सिविल सर्जन, गोपालगंज	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
23	सिविल सर्जन, सहरसा	120000	80400	72000	0	2400	18000	292800	4000	2000	298800
	कुल योग:-	2820000	1889400	1692000	40000	56400	423000	6920800	93000	46000	7059800

(सत्तर लाख उनसठ हजार आठ सौ) रु० मात्र

सरकार के सयुक्त सचिव



17/3/09

24-4-12

विवरणी-II

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	उप निदेशक सह लोक विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना	सचिव सह औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना	लोक विश्लेषक, जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	कुल
1	वेतन (01-01)	900000	600000	450000	1950000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	603000	402000	301500	1306500
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	540000	360000	270000	1170000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	50000	50000	0	100000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	45000	30000	22500	97500
6	अन्य भत्ता (01-07)	135000	90000	67500	292500
	योग वेतन एवं भत्ते:-	2273000	1532000	1111500	4916500
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	0	0	0	0
8	कार्यालय व्यय (13-01)	20000	20000	8000	48000
9	विद्युत प्रभार (13-04)	100000	0	0	100000
10	विधि प्रभार (13-05)	8000	8000	4000	20000
11	वर्दी / पोषाक (13-06)	0	0	0	0
12	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	9000	9000	7000	25000
13	दवा भंडार (21-02)	20000	0	5000	25000
14	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	100000	0	0	100000
15	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	300000	0	94000	394000
	कुल योग:-	2830000	1569000	1229500	5628500

(छप्पन लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ रूपये मात्र)

[Signature]
24/4/2012
सरकार के संयुक्त सचिव

व्यय का सारांश:-

विवरणी - III

क्रमांक	कोड एवं संस्थान का नाम	विवरणी I	विवरणी II	कुल
1	वेतन (01-01)	2820000	1950000	4770000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	1889400	1306500	3195900
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	1692000	1170000	2862000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	40000	100000	140000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	56400	97500	153900
6	अन्य भत्ता (01-07)	423000	292500	715500
	योग वेतन एवं भत्ते:-	6920800	4916500	11837300
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	0	0	0
8	कार्यालय व्यय (13-01)	93000	48000	141000
9	विद्युत प्रभार (13-04)	0	100000	100000
9	विधि प्रभार (13-05)	46000	20000	66000
10	वर्दी / पोषाक (13-06)	0	0	0
11	सामग्री एवं पूर्तियों (21-01)	0	25000	25000
12	दवा भंडार (21-02)	0	25000	25000
13	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	0	100000	100000
13	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	0	394000	394000
	कुल योग:-	7059800	5628500	12688300

(एक करोड़ छब्बीस लाख अट्ठासी हजार तीन सौ रूपये मात्र)

[Signature]
24/4/2012
सरकार के संयुक्त सचिव

17(7)a
24-4-12

विवरणी - IV

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01-01)	5983000	4770000	1213000
2	जीवन यापन भत्ता (01-03)	4008000	3195900	812100
3	मकान किराया भत्ता (01-04)	3684000	2862000	822000
4	परिवहन भत्ता (01-05)	206000	140000	66000
5	चिकित्सा भत्ता (01-06)	197000	153900	43100
6	अन्य भत्ता (01-07)	922000	715500	206500
	योग वेतन एवं भत्ते:-	15000000	11837300	3162700
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	150000	0	150000
8	कार्यालय व्यय (13-01)	250000	141000	109000
9	विद्युत प्रभार (13-04)	1100000	100000	1000000
10	विधि प्रभार (13-05)	100000	66000	34000
11	वर्दी/ पोषाक (13-06)	10000	0	10000
12	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	50000	25000	25000
13	दवा भंडार (21-02)	50000	25000	25000
14	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	300000	100000	200000
15	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	800000	394000	406000
	कुल योग:-	17810000	12688300	5121700

[Signature]
24/4/2012.
सरकार के संयुक्त सचिव

17(7) 9

24-4-12